UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष

सामान्य अध्ययन

प्रश्न पत्र–V

नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित

➔ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-V के नवीनतम पाठ्यक्रम में निहित 21 विषय वस्तुओं पर विस्तृत अध्ययन सामग्री

➔ पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित सामग्रियों की प्रस्तुति

➔ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ

संपादक
एन. एन. ओझा

लेखक
डॉ. श्याम सुन्दर पाठक
(सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश)
(प्रेरण व्याख्याता, कवि, कैरियर व लाइफ कोच)

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

पुस्तक के संबंध में

प्रस्तुत पुस्तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में नवीनतम शामिल किए गए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-V के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। पुस्तक में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-V से संबंधित सभी 21 विषय-वस्तुओं पर विस्तृत रूप में सामग्रियों को प्रस्तुत किया गया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-V में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित इतिहास, कला-संस्कृति, शासन व्यवस्था, जनजातीय मुद्दे, पर्यटन, परिवहन, राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं एवं नवीनतम घटनाक्रम के विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों के माध्यम से आयोग परीक्षार्थियों से समस्याओं व चुनौतियों का प्रभाव व समाधान जानने की अपेक्षा रखता है। पुस्तक में इन सारे विषयों को तथ्यात्मक एवं विवरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है; छात्र संबंधित विषय-वस्तु पर उपलब्ध कराई गई सामग्रियों का उपयोग मुख्य परीक्षा के दौरान अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। पुस्तक में विषयों को प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुरूप समसामयिक मुद्दों से जोड़ कर लिखा गया है। साथ ही इस पुस्तक में विगत वर्षों में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत पूछे गए उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य छात्रों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए इस नवीनतम प्रश्न पत्र की बारीकियों को समझाना है।

यह पुस्तक मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-V के अतिरिक्त राज्य में आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ व विवरणात्मक प्रकार की सभी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी; जैसे-समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सामान्य/विशेष चयन), प्रवक्ता परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज, संभागीय निरीक्षक(प्रावधिक) परीक्षा, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) प्रतियोगी परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तथा अन्य सभी राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षाएं आदि।

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सामान्य जागरूक पाठकों, विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों, शोधार्थियों एवं साक्षात्कार की तैयारी करने वाले पाठकों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है।

आशा है कि यह पुस्तक छात्रों के लिए उनकी सफलता की मार्गदर्शक साबित होगी।

संपादक

अनुक्रमणिका

1. उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, एवं प्राचीन नगर 1–43

- परिचय 1
- उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास 2

ऐतिहासिक काल में उ.प्र. 3

- वैदिक काल 3
- बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रसार 4
- मगध का उत्कर्ष 5
- ई.पू. के आक्रमण 6
- गुप्त वंश 319–550 ईस्वी तक 6
- अस्थिरता का युग : गुप्तोत्तर युग 7

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत एवं कला-संस्कृति 8

- वैदिक काल 8
- जैन धर्म 8
- बुद्ध धर्म 9
- मौर्य काल 9
- मथुरा की कला 9
- स्वर्णिम युग 10
- मध्य काल 10
- उत्तर प्रदेश में स्थापत्य एवं कला विकास में अंधकार का युग 11
- मुगल काल 11

उत्तर प्रदेश : प्राचीन नगर 12

- गौतमबुद्ध नगर 12
- इटावा 13
- एटा 13
- फतेहपुर 14
- उन्नाव 14
- कानपुर नगर 15
- गाजियाबाद 17
- शाहजहांपुर 18
- हमीरपुर 18
- बदायूं 19
- रायबरेली 21
- झांसी 22
- आगरा 23
- गोरखपुर 24
- प्रयागराज 25
- बरेली 26
- बांदा 27
- चित्रकूट 27
- कानपुर देहात 28
- पीलीभीत 28
- जौनपुर 29
- बिजनौर 30
- रामपुर 31
- सहारनपुर 32
- फर्रुखाबाद 32
- सीतापुर 33
- जालौन 34
- सुल्तानपुर 34
- बहराइच 35
- बुलंदशहर 36
- प्रतापगढ़ 36
- ललितपुर 37
- अलीगढ़ 38
- आजमगढ़ 40
- गाजीपुर 40
- मथुरा 41
- अतरंजीखेड़ा 41
- अयोध्या 41
- अहिच्छत्र 42
- कन्नौज 42
- कपिलवस्तु 42
- कुशीनगर 42
- कौशाम्बी 43
- कड़ा 43
- कालिंजर 43
- हुलासखेड़ा 43
- लखनऊ 43

2. उ.प्र. की वास्तुकला, उसकी महत्ता तथा रख–रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार व पुरातत्व 44–54

- उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता तथा रख-रखाव 44
- ऐतिहासिक दुर्ग 47
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय 51
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभिलेख 52
- प्रमुख राजकीय संग्रहालय 53

3. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले और बाद में उ.प्र. का योगदान 55–69

- उत्तर प्रदेश: 1857 की क्रांति से पूर्व 55
- राष्ट्रीय जन-जागरण काल 59
- राष्ट्रवाद का जागरण और उत्तर प्रदेश 62
- उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन 64

4. उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्ति 70–80

- परिचय 70

5. उ.प्र. में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य/ बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन..... 81–93

- परिचय 81
- उत्तर प्रदेश की संगीत कला 88
- उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य 91
- उत्तर प्रदेश की प्रमुख नाट्य शैली एवं रंगकर्म 91
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले 92
- उत्तर प्रदेश की भाषाएं एवं बोलियां 93

6. उ.प्र. की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणालीः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केंद्र–राज्य संबंध ... 94–102

- राज्यपाल 95
- विधान सभा 96
- मुख्यमंत्री 98
- राज्य की मंत्रिपरिषद 99
- उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 99
- उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग 100
- केंद्र-राज्य संबंध 100

7. उ.प्र. में लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र 103–114

- लोक सेवा आयोग 103
- लेखा परीक्षा 105
- महान्यायवादी 108
- उच्च न्यायालय 109
- गठन 109
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश . 111
- उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्ति तथा कार्य 111
- अधीनस्थ न्यायालय 112
- लोक अदालतें 113
- विधिक सेवा प्राधिकरण 114
- उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा नीति-2009 114

8. उ.प्र. – विशेष राज्य चयन मापदंड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग 115–123

- राजभाषा 115
- राजनीतिक दल 119
- राज्य निर्वाचन आयोग 120
- उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 123

9. उ.प्र. में स्थानीय स्वशासनः शहरी एवं पंचायती राज, लोकनीति, अधिकार संबंधित मुद्दे 124–136

- उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं 124
- ग्राम पंचायत 126
- क्षेत्र पंचायत 127
- जिला पंचायत 128
- नगर निकाय (नगर पंचायत) 130
- नगर परिषद या नगरपालिका परिषद 131
- नगरपालिका के कार्य एवं आय के साधन 131
- नगर निगम 132
- लोक नीति 133
- अधिकार संबंधी मुद्दे 134

10. उ.प्र. सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई–गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना 137–145

- सुशासन 137
- भ्रष्टाचार 139
- उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 141

- ई-गवर्नेंस 142
- उत्तर प्रदेश नगरपालिका नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) 143
- समाधान योजना 144

11. उ.प्र. में भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव . 146–148

12. उ.प्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे 149–153

- आतंरिक सुरक्षा 149
- उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन 150
- साइबर सुरक्षा 151

13. उ.प्र. में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा..... 154–157

- नागरिक सुरक्षा 154
- यूपी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 154
- उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा .. 155
- नगर निकायों में नागरिक सुरक्षा इकाई की स्थापना .. 156
- मिशन शक्ति 156

14. उ.प्र. में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मुद्दे... 158–162

- प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं 159
- बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रावधान 161

15. उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली..... 163–172

- परिचय 163
- सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाएं 163
- नई शिक्षा नीति-2020 169

16. भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका . 173–174

17. उत्तर प्रदेश की सामयिक घटनाएं 175–189

- मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना 175
- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 175
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: उत्तर प्रदेश 175

18. जल शक्ति मिशन व अन्य केंद्रीय योजनाएं एवं उनका क्रियान्वयन 190–192

19. उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठन : मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव 193–194

20. उत्तर प्रदेश में पर्यटनः मुद्दे व संभावनाएं ... 195–207

- परिचय 195

21. उ.प्र. के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार : इसके मुद्दे एवं समाज में रोजगार एवं सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव 208–210

22. उ.प्र. विशेष : विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न .. 211–216

❖◆❖◆❖

01
अध्याय

उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर

परिचय

भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पुरातन क्षेत्रों में से एक है, जहां भारतीय संस्कृति फूली और फली है। यह सच है कि इस क्षेत्र में हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसी खोजें अभी भी प्रकाश में नहीं आयी हैं, तथापि बांदा (बुंदेलखण्ड), मिर्जापुर और मेरठ में जो पुराकालीन वस्तुएं मिली हैं, वे पूर्व पाषाण काल एवं हड़प्पा काल से इस प्रदेश के इतिहास को जोड़ती हैं। मिर्जापुर जिले की विंध्य पर्वत श्रेणियों में अभी भी लाल खड़िया, मिट्टी या गाढ़े लाल रंग से आदिम युग के मनुष्यों द्वारा निर्मित रेखाकृतियां विस्तृत रूप से पायी जाती हैं। तत्कालीन बर्तन आदि भी अतरंजीखेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी में मिले हैं। कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा तथा कुछ अन्य जिलों में तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। ये सभी वस्तुएं इस प्रदेश में आर्यों के आने से पहले की सभ्यता का संकेत करती हैं। यह संभव है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के बीच टूटी कड़ियां इस राज्य के प्राचीन स्थलों पर पाये जाने वाले खंडहरों के नीचे दबी हों।

- पुरातन काल में उत्तर प्रदेश, मध्य देश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से होने वाले आक्रमणों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच में उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण देश के इतिहास का उत्तर प्रदेश के इतिहास से निकटतम संबंध है। यद्यपि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के संबंध में बहुत कम जानकारी है; तथापि मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखण्ड और प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय क्षेत्र में खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन एवं नव पाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलांतर्गत आलमगीरपुर व सहारनपुर स्थित हुलसा में हड़प्पा कालीन जो वस्तुएं मिली हैं, जो हमें हड़प्पाई संपर्क का स्मरण कराती हैं।

प्रदेश का नामकरण

- प्रदेश को अपना वर्तमान नाम 'उत्तर प्रदेश' 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ प्राप्त हुआ। अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था। सुविधानुसार इसे कभी-कभी 'पश्चिमी प्रांत' के नाम से भी पुकार लिया जाता था। बाद में सन् 1834 में 'आगरा प्रेसीडेन्सी' का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर दिया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नया नामकरण किया गया। अब इसका नाम 'उत्तर-पश्चिम प्रान्त' (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) रखा गया। इस समय तक अवध में नवाबी कायम थी।
- भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल अवध को हड़पने का सपना बहुत पहले से देखते आ रहे थे। अंततोगत्वा गवर्नर जनरल डलहौजी ने 7 फरवरी, 1856 को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया। इस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक 12 जिले शामिल थे। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय ने ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में बदलाव को आमंत्रित किया तथा 4 फरवरी, 1856 को भारत सरकार के आदेश के अंतर्गत लखनऊ में एक न्यायिक आयुक्त का उच्च न्यायिक पद सृजन कर दिया गया। इस पद पर प्रथम न्यायमूर्ति के रूप में श्री ओमानी की नियुक्ति की गयी, प्रशासन की दृष्टि से अवध को चार आयुक्तों के अंतर्गत चार हिस्सों में बांट दिया गया; जबकि जिलों को उप-आयुक्तों के अंतर्गत रखने की व्यवस्था की गयी।
- सन् 1857 में यह पूरा क्षेत्र प्रथम स्वाधीनता संघर्ष की चपेट में आ गया। सन् 1858 में इस क्रांति पर काबू पाने के पश्चात् लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बनाकर इसका मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। उच्च न्यायालय का भी स्थानांतरण आगरा से इलाहाबाद 1868 में कर दिया गया। परंतु अवध तथा उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1897 तक तद्नुसार बना रहा।
- 1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों का एकीकरण लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त के पद के अंतर्गत कर दिया गया। इस पद पर जी. कूपर (1877), सर ए. काल्विन (1887), सर ए.सी. ल्याल (1892), सर ए.पी. मैक्डोनेल (1895), सर जेम्स डी. लाटूश (1901) तथा सर जे.पी. हिवेट (1902) आदि ने कार्य किया। 1906 में मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। अब इस प्रान्त का नाम 'आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त' (यूनाईटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एंड अवध) हो गया तथा सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया। 1877 से लखनऊ इस प्रान्त का मुख्यालय नहीं रहा।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद को गवर्नर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रान्त की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गयी। सन् 1921 में एक विधान परिषद की स्थापना लखनऊ में की गयी।

02
अध्याय

उ.प्र. की वास्तुकला उसकी महत्ता तथा रख-रखाव, संग्रहालय, अभिलेखागार व पुरातत्व

उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता तथा रख-रखाव

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश का वास्तुकला विभिन्न धार्मिक स्मारकों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का वास्तुकला मुख्य रूप से इस्लामी वास्तुकला द्वारा विकसित किया गया है। इसमें महल, किले, भवन और विभिन्न मकबरे शामिल हैं।

- उत्तर प्रदेश में कई वास्तुशिल्प रचनाएं हिंदू और इस्लामी स्थापत्य तत्वों का मिश्रण हैं। उत्कृष्ट पुरातात्विक विरासत फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और किले आगरा शहर में संरक्षित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की सुंदरता के सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं लखनऊ, वाराणसी, आगरा और वृंदावन।
- अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले मुगलों ने आगरा और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, जबकि तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच सद्भाव कायम रखने का प्रयास किया। उन्होंने इस्लामी वास्तुकला शैलियों के साथ हिंदू धर्म के व्यावहारिक और वैज्ञानिक तकनीक से निर्मित मंदिरों और महलों को भी अपनी मिश्रित वास्तुकला में शामिल करने का प्रयास किया। इसमें कॉलम निर्माण तकनीक और हिंदू वास्तुकला शैली शामिल थी और वास्तुकला की अपनी अनूठी शैली विकसित की गई। यह शैली आगरा के बाहर सिकंदरा में और कथित तौर पर फतेहपुर सीकरी नाम के नए शहर में उनकी कब्र में दिखाई देती है। आगरा में बाबर द्वारा निर्मित मुगल गार्डन उत्तर प्रदेश के इस्लामी वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण हैं। मुगल के वास्तुकला के मुख्य तत्व बलुआ पत्थर और संगमरमर थे। ताजमहल का वास्तुकला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली स्मारक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस्लामी वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र है, जो लखनऊ के इमामबाड़ा के साथ बड़ा इमाम्बाडा, छोटा इमामबाड़ा और शुक्रवार मस्जिद है।
- उत्तर प्रदेश में वृंदावन हिंदू वास्तुकला का एक स्थान है। वाराणसी में राजपूत, हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है।
- ज्यादातर शहरों में प्रशासन, अदालतों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, रेलवे, बैंकों आदि के लिए निर्मित ब्रिटिश औपनिवेशिक भवन अभी भी देखे जा रहे हैं; ज्यादातर मामलों में उनकी वास्तुकला बस कार्यात्मक है। उत्तर प्रदेश का वास्तुकला पैनोरमा हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक उदार संगम है।

फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख इमारतें

- **जामा मस्जिद:** फतेहपुर सीकरी में स्थित अकबर की जामा मस्जिद भारतवर्ष की विशालतम इमारतों में से एक है। यद्यपि इसकी निर्माण योजना मक्का की मुख्य मस्जिद के अनुकरण पर तैयार की गयी है; परंतु अन्य बहुत सी विशेषतायें जैसे- प्रवेश-द्वार, गुंबदों के ऊपर का अलंकरण, स्तंभ और तोड़ेदार मेहराबें आदि हिंदू शैली की हैं।
- **बुलंद दरवाजा:** 1601-1602 ई. में लाल बलुए पत्थर से निर्मित फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे में स्थापत्य एवं शिल्पकला का अद्भुत समन्वय हुआ है। इसकी निर्माण योजना ईरानी शैली की है, परंतु भारपट्टों, तोड़ों तथा अलंकरण पर परंपरागत हिंदू वास्तुकला का प्रभाव पड़ा है।
- **दीवाने खास:** फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित इस भवन में हिंदू-मुस्लिम तत्वों का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इसकी वर्गाकार निर्माण योजना तथा पद्माकार शीर्षों से अलंकृत अष्टफलीय स्तंभ हिंदू वास्तु परंपरा से लिये गये हैं और यह भवन बाहर से देखने पर एक मंदिर जैसा प्रतीत होता है, परंतु स्तंभों पर की गयी ज्यामितीय सज्जा ईरानी प्रभाव से युक्त है।
- **जोधाबाई का महल:** फतेहपुर सीकरी के विशाल भवनों में इस महल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें खुले प्रांगण के चारों ओर आवासीय कक्ष निर्मित किये गये हैं। महल का प्रवेश-द्वार हिंदू शैली का है, जिसे स्तंभों, तोड़ेदार शीर्षों, भारपट्टों तथा घंटमालाओं आदि परंपरागत अंगों और प्रतीकों से सजाया गया है, परंतु गुंबद तथा हवामहल का जालीदार अलंकरण ईरानी ढंग का है। प्रांगण के दूसरी ओर पश्चिमी दिशा में एक कक्ष है, जो 'ठाकुरद्वारा' कहलाता है। इसकी रथिकायें, पत्थर की चौकी तथा किंकिणिका के अलंकरण आदि से यह हिंदू मंदिर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त प्रांगण के बीच में एक कुंड है। कहते हैं कि यह स्थान तुलसी के पौधे के लिये था।
- **पंचमहल:** पंचमहल नाम से प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी की यह इमारत अकबरकालीन वास्तुकला का एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण है।
- इसकी निर्माण योजना एवं अलंकरण हिंदू शैली का है, क्योंकि इसकी मीनारों और मेहराबों के स्थान पर हिंदू शैली के स्तंभों, तोड़ेदार शीर्षों और भारपट्टों का प्रयोग किया गया है।
- **सुनहरा मकान:** फतेहपुर सीकरी स्थित सुनहरा मकान का निर्माण अकबर ने अपनी राजपूत बेगम जोधाबाई उर्फ मरियम-उज-जमानी के लिये करवाया था। इसी कारण यह 'मरियम की कोठी' नाम से भी प्रसिद्ध है।

03
अध्याय

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के पहले और बाद में उ.प्र. का योगदान

उत्तर प्रदेश: 1857 की क्रांति से पूर्व

1761 ई. के तीसरे पानीपत युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा सन् 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल से निष्कासित नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तरी भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया।

- अंग्रेज इलाहाबाद तक बढ़ आये थे। अवध के नवाब ने मराठों को बुंदेलखण्ड से सहायता के लिये बुलाया, परंतु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब तथा मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजों से पराजित हो गयी। जिसमें अवध के नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देना स्वीकार किया।
- सन् 1773 में अंग्रेजों ने इलाहाबाद, अवध के नवाब को इस आधार पर सौंप दिया कि शाहआलम ने इसे मराठों को सौंप दिया था। 1774 में अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेला सरदार रहमत खां को शाहजहांपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया।
- 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बना। अंग्रेजों के साथ की गयी एक नवीन सन्धि के फलस्वरूप बनारस क्षेत्र के राजा चेतसिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त मांग को ठुकरा दिया, तब वारेन हेस्टिंग्स ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया तथा बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित कर दिया।
- 1797 में सआदत अली अवध का नवाब बना। उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इंडिया कम्पनी को देने का आश्वासन भी दिया।
- 19वीं सदी के आगमन पर अंग्रेजों के पास इस प्रांत में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर को छोड़कर) तथा इलाहाबाद का किला था। 1801 ई. में अवध के सआदत अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूं का तराई परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। इस प्रकार उत्तर को छोड़कर शेष तीनों तरफ से अवध अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों से घिर चुका था। 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा गोहाड़ का क्षेत्र हथिया लिया। 1816 के गोरखा युद्ध में अंग्रेजों को कुमायूं तथा देहरादून प्राप्त हो गये।
- प्रारंभ में यह संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर भी गवर्नर जनरल का शासन चलता रहा। 1833 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसीडेन्सी को दो भागों में विभाजित कर दिया। इस दूसरे प्रान्त को आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया। यहां पर एक गवर्नर जरनल की नियुक्ति की गयी। परन्तु यह योजना कभी भी पूर्ण रूप से कार्यान्वित न हो सकी। दो वर्षों के पश्चात् एक अधिनियम के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गयी तथा इसका नाम बदलकर 'उत्तर-पश्चिमी प्रान्त' कर दिया गया। इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन, दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र सम्मिलित थे।
- 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1857 के गदर के पश्चात् दिल्ली-पंजाब को, तराई के कुछ हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रांत को दे दिये गये।

प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम (1857) और उत्तर प्रदेश

- वस्तुत: भारत के क्रांतिकारियों में 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर से स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति के बीज अंकुरित हुए। अवध क्षेत्र तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रथम स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान नाना साहब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्याटोपे, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, माधोसिंह, राणा बेनी माधव, दरियाव सिंह, मंगल पांडे और देवी बख्श सिंह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था।
  - अंग्रेजी फौज में कार्यरत सैनिक जो मुख्यत: अवध के किसान परिवारों से आते थे तथा किसी देशी राजा के अधीन नहीं थे, उनका बढ़-चढ़कर इस क्रांति में भाग लेना दर्शाता है कि 1857 का आंदोलन कोई सैनिक विद्रोह नहीं वरन् जनमानस की क्रांति थी।
  - प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं मार्क्सवादी नेता शिव वर्मा (शिव दा) ने विभिन्न विदेशी और भारतीय लेखकों की पुस्तकों के अंशों से यह सिद्ध किया है कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय संग्राम था, अर्थात् जन-क्रांति ही थी। वह भारतीय धरती की नयी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागृति का फल था।

विद्रोह का आंरभ

- उत्तर-पश्चिम प्रांत, आगरा और अवध (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में बलिया के निवासी मंगल पाण्डेय (34वीं नेटिव सैनिक टुकड़ी से) के द्वारा 29 मार्च, 1857 को विद्रोह की शुरुआत बंगाल के बैरकपुर से की गयी; जब उन्होंने लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में गोली चला

04
अध्याय

उत्तर प्रदेश के सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्ति

परिचय

ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद देश के इतिहास में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। सर्वविदित है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों का योगदान अभूतपूर्व रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमिका आधुनिक भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चंद्रशेखर आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना मोहम्मद अली, राम मनोहर लोहिया आदि की तरह कई ऐसे महान व्यक्तित्व दिए हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान कर दिया।

- मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और गोविंद बल्लभ पंत आदि उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) का गठन 11 अप्रैल, 1936 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (उत्तर प्रदेश) में किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, बलिया जिले के क्रांतिकारियों ने औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंका और चित्तू पांडे के अधीन अपना प्रशासन स्थापित किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बलिया को 'बागी बलिया' (विद्रोही बलिया) के नाम से जाना जाने लगा था और चित्तू पांडेय को ''बलिया का बाघ'' उपनाम से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन और उसके बाद भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्तित्व निम्नवत हैं:
- **मंगल पांडे:** आजादी की लड़ाई में भागीदारी करने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे (Mangal Pandey) का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। उनके पिता दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। मंगल पांडे शरीर से स्वस्थ और अपनी बहादुरी, साहस, एक अच्छे सैनिक के गुण और गंभीरता के लिए जाने जाते हैं।
- मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापारियों के रूप में आई थी, उसने जब भारत को अपने अधीन कर लिया, लेकिन मंगल पांडेय द्वारा आरम्भ किया गया 1857 की क्रांति ने देश को नई दिशा प्रदान की, जो भारत के आजादी की लड़ाई में पहला आन्दोलन माना जाता है।
- सन् 1849 में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए और बैरकपुर की सैनिक छावनी में बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, यानी बीएनआई की 34वीं रेजीमेंट के पैदल सेना के सिपाही रहे।
- मंगल पांडे के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वार्थी नीतियों के कारण अंग्रेजी हुकुमत के प्रति पहले ही नफरत थी। जब सेना की बंगाल इकाई में 'एनफील्ड पी.-53' राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। सैनिकों के बीच ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हिन्दू और मुसलमानों दोनों के लिए गंभीर और धार्मिक विषय था। तब हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया।
- इसके बाद 9 फरवरी, 1857 को जब यह कारतूस देशी पैदल सेना को बांटा गया, तब मंगल पांडेय ने उसे न लेने को लेकर विद्रोह (Indian rebellion of 1857) जता दिया। इस बात से नाराज अंग्रेजी अफसर द्वारा मंगल पांडे से उनके हथियार छीन लेने और वर्दी उतरवाने का आदेश दिया, जिसे मानने से मंगल पांडे ने इनकार कर दिया और रायफल छीनने आगे बढ़ रहे अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण किया तथा उसे मौत के घाट उतार दिया, साथ ही उनके रास्ते में आए दूसरे एक और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉब को भी मौत के घाट उतार दिया।
- इस तरह मंगल पांडेय ने बैरकपुर छावनी में 29 मार्च, 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया, अत: उन्हें आजादी की लड़ाई के अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में इस घटना को '1857 का गदर' नाम दिया गया।
- इसके घटना के बाद मंगल पांडे को अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार किया तथा उन पर कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया और फांसी की सजा सुना दी गई। कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें 18 अप्रैल, 1857 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 10 दिन पूर्व ही यानी 8 अप्रैल, 1857 को ही उनको फांसी दे दी गई।
- मंगल पांडे द्वारा किया गया यह विद्रोह ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है, जिसमें सैनिकों के साथ-साथ राजा-रजवाड़े, किसान, मजदूर एवं अन्य सभी सामान्य लोग भी शामिल हुए। मंगल पांडे आजादी के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे, जिनके सामने गर्दन झुकाकर जल्लादों ने फांसी देने से इनकार कर दिया था।

05
अध्याय

उ. प्र. में ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, संगीत, लोकनृत्य, भाषा एवं साहित्य/ बोली, सामाजिक प्रथाएं एवं पर्यटन

परिचय

समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1948-49 में हुई थी और उस समय इस विभाग का नाम 'हरिजन सहायक विभाग' था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को इसके पूर्व शिक्षा विभाग से कुछ शैक्षिक सुविधाएं दी जाती थीं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940-41 में 'रिक्लेमेशन विभाग' के नाम से एक अलग विभाग संचालित था। इसका मुख्य कार्य उन जातियों का कल्याण था, जो उस समय अपराध की ओर उन्मुख थीं और यह विभाग तत्कालीन समय में रिक्लेमेशन अधिकारी के अधीन था। आगे चलकर कुछ समय पश्चात् रिक्लेमेशन विभाग के समस्त कार्यों को 'हरिजन सहायक विभाग' में ही सम्मिलित कर लिया गया। वर्ष 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गयी। वर्ष 1961 में दोनों विभागों को अलग-अलग मानते हुए निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया।

- वर्ष 1977-78 में हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का विलय कर इसका नाम 'हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग' कर दिया गया। वर्ष 1991-92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995-96 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं इससे संबंधित निदेशालयों का अलग से गठन किया गया एवं उनसे संबंधित समस्त योजनाओं को 'समाज कल्याण विभाग' में स्थानांतरित करके संबंधित विभागों को संचालन हेतु दे दिया गया।
- **समाज कल्याण निर्माण निगम:** इस निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 25 जून, 1976 को हुई थी। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में है। राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्गों के लिए आवास योजनाओं और उससे संबंधित योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना निगम का मुख्य उद्देश्य है।
- **समाज कल्याण विभाग:** भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की। दैहिक, दैविक एवं भौतिक आपदाओं से ग्रसित सामाजिक कुरुतियों में फंसे स्त्री-पुरुष तथा बच्चों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर एक सभ्य एवं सुसंस्कृत व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरुत्तर दायित्व समाज कल्याण विभाग का है।
- **मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान:** मद्यनिषेध विभाग के अंतर्गत राज्य मुख्यालय लखनऊ में राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा मद्यनिषेद्य के जागरूकता कार्यों को संचालित किया जाता है।
- प्रदेश के वर्तमान राजस्व मंडलों के सापेक्ष मद्यनिषेध विभाग के अंतर्गत प्रदेश को अभी तक मात्र 7 विभागीय क्षेत्रों में ही विभाजित किया गया है। वर्तमान विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद एवं मेरठ को क्षेत्रीय मुख्यालय बनाकर प्राथमिक कार्यकारी इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में उनके सहयोगार्थ एक-एक उपक्षेत्रीय मद्यनिषेद्य एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद केवल 6 क्षेत्रों के लिए वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक सचल इकाई, विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए स्वल्प रूप में उपलब्ध है।
- **शैक्षिक कार्यक्रम:** सामाजिक तथा आर्थिक रूप से निर्बल पिछड़ी तथा उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के उत्थान के लिए वर्ष 1995 से कक्षा 1 से 8 तक के समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तथा इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:** गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उस परिवार को आर्थिक संरक्षण प्रदान करने के अहम उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस योजना को प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के शत-प्रतिशत वित्तीय संसाधनों से प्रदेश भर में संचालित है।
- योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की किसी भी प्रकार से स्वाभाविक अथवा दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के उपरांत 10 हजार रुपये की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। आयु सीमा 18 से 64 वर्ष रखी गयी है। स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 5000 रु. दिये जाते हैं।
- **राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित तीन प्रमुख योजनाओं में से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक प्रमुख योजना है। यह योजना 65 वर्ष से अधिक आयु वाले गरीब वृद्ध लोगों को नकद पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की पुरोनिधानित योजना के रूप में चलायी जा रही है।
- इस योजना को सरकार द्वारा वर्ष 1995 से संचालित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत वृद्ध महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

06
अध्याय

उ.प्र. की राजव्यवस्था शासन प्रणाली: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधान सभा एवं विधान परिषद, केंद्र-राज्य संबंध

को प्रशासनिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश मंडलों, जिलों, नगरों, ब्लॉक तथा ग्राम में विभाजित किया गया है।

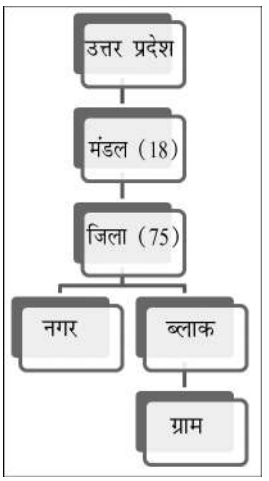

मंडल एवं जिले

वर्तमान में उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। नवीनतम गठित मंडल अलीगढ़ है, जिसे आगरा मंडल से अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस जिलों को निकालकर बनाया गया है। यह प्रदेश का 18वां मंडल है। वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाले मंडल कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ हैं एवं इन मंडलों में सर्वाधिक 6-6 जिले हैं। अलीगढ़ मंडल के निर्माण से पूर्व आगरा मंडल में सर्वाधिक जिले थे।

मंडल एवं उनमें स्थित जिले इस प्रकार हैं:

(1) कानपुर मंडल - कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया
(2) लखनऊ मंडल - लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर। खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव
(3) मेरठ मंडल - मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत।
(4) आगरा मंडल - आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा।
(5) इलाहाबाद मंडल - प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़।
(6) आजमगढ़ मंडल - आजमगढ़, बलिया, मऊ।
(7) बरेली मंडल - बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर।
(8) बस्ती मंडल - बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर।
(9) चित्रकूट मंडल (मुख्यालय - बांदा) - बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा।
(10) देवीपाटन मंडल (मुख्यालय - गोंडा) - गोंडा, बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर।
(11) फैजाबाद मंडल - फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी।
(12) गोरखपुर मंडल - गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज।
(13) झांसी मंडल - झांसी, जालौन, ललितपुर।
(14) मिर्जापुर मंडल - मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र।
(15) मुरादाबाद मंडल - मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल।
(16) वाराणसी मंडल - वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर।
(17) सहारनपुर मंडल - सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली।
(18) अलीगढ़ मंडल - अलीगढ़, एटा, कासगंज एवं हाथरस

◈ उ. प्र. में 4 आर्थिक संभाग– पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड एवं पूर्वी बनाए गए हैं

उत्तर प्रदेश के जिले

उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां वर्तमान में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के नवीनतम निर्मित जिले– हापुड़, संभल तथा शामली हैं, जिनकी घोषणा 28 सितंबर, 2011 को की गई थी।

उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम परिवर्तन	
पुराना नाम	**नया नाम**
पंचशील नगर	हापुड़
भीमनगर	संभल
प्रबुद्ध नगर	शामली
महामाया नगर	हाथरस
कांशीराम नगर	कासगंज
रमाबाई नगर	कानपुर देहात
छत्रपति साहूजी महाराज नगर	अमेठी
ज्योतिबाफुले नगर	अमरोहा
संत रविदास नगर	भदोही
इलाहाबाद	प्रयागराज
फैजाबाद	अयोध्या

क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी (7,680 वर्ग किमी.) है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले **क्रमशः** सोनभद्र (6,905 वर्ग किमी.), हरदोई (5,986 वर्ग किमी.), सीतापुर (5,743 वर्ग किमी.) तथा प्रयागराज (5,482 वर्ग किमी.) हैं। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ (660 वर्ग किमी.) है।

07
अध्याय

उ.प्र. में लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय एवं उसका अधिकार क्षेत्र

लोक सेवा आयोग

1858 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया। यह उद्घोषणा नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया द्वारा दिये गए घोषणा-पत्र को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ने के साथ हुई तत्समय इलाहाबाद को एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बनाया गया था। उस समय इलाहाबाद उत्तर-पश्चिमी प्रांतों की राजधानी भी थी। अंग्रेजों ने यहां पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अनेक संस्थानों की भी स्थापना की थी।

- पब्लिक सर्विस कमीशन 1886-87 ने प्रशासनिक सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा- (1) भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.), (2) प्रांतीय सिविल सेवा (पी.सी.एस.) और (3) अधीनस्थ सेवाएं। अंतिम दो को विशेष रूप से भारतीयों द्वारा भरा जाना था। भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन इन्हें या तो परीक्षाओं के माध्यम से या नामांकन के माध्यम से भरा जाना था। जैसे-जैसे जटिलताएँ बढ़ती गईं और सेवाएँ सृजित होती गईं व्यवस्था पर्याप्त नहीं पाई गई।
- इसके बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसकी धारा 96 डी बनाना में विभिन्न सेवाओं के वर्गीकरण और प्रत्येक की भर्ती के तरीकों का प्रावधान था परन्तु वह भी अपरिपूर्ण पाया गया। इसलिए जून 1923 में, भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर एक रॉयल कमीशन फेरहम के लॉर्ड ली के अधीन नियुक्त किया गया था।
- 1924 के ली आयोग ने पहली बार ''सेवाओं पर अनुशासनात्मक नियंत्रण को विनियमित करने और प्रयोग करने के लिए'' पांच सदस्यों को एक लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए प्रावधान किया। इस प्रकार भारत का लोक सेवा आयोग 1926 में अस्तित्व में आया।
- 1929 में मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय सिद्धांत पेश किया और तद्नुसार संघीय लोक सेवा आयोग के साथ-साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के लिए प्रस्ताव प्रदान किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करने वाले अधिनियम के भाग III को अप्रैल 1937 में लागू किया गया था।
- तद्नुसार 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में सात प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई- 1. असम (शिलांग में), 2. बंगाल (कलकत्ता में), 3. बॉम्बे और सिंध (बॉम्बे में), 4. मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा (रांची में), 5. बर्मा (रंगून), 6. पंजाब और उत्तर-पश्चिमी प्रांत (लाहौर में), 7. संयुक्त प्रांत (इलाहाबाद में)।
- उ.प्र. लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल, 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264 के तहत किया गया था, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में था। 1904 से 1949 तक इलाहाबाद संयुक्त प्रांतों (अब, उत्तर प्रदेश) की राजधानी था। दूसरे एक अध्यक्ष और दो सदस्य शामिल होते थे। स्थापना के दो दिन बाद श्री डी.एल. ड्रेक ब्रॉकमैन (I.C.S.) ने पहले अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। दो सदस्य राय बहादुर मान सिंह और खान बहादुर सैय्यद अबू मोहम्मद, 20 अप्रैल, 1937 को नियुक्त हुए। इस आयोग के प्रथम सचिव, राय साहब महेशानंद घिल्डियाल, यू.पी. सचिवालय सेवा के थे।
- 31 मार्च 1947 को प्रख्यात शिक्षाविद् और बीएचयू व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ अमरनाथ झा ने स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉ अमरनाथ झा जनवरी 1953 तक अध्यक्ष रहे दस महीने को छोड़कर, तब तक उन्हें बीएचयू के उप कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था। लोक सेवा आयोग में कई महान शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक माननीय अध्यक्ष और सदस्य के रूप में अपने ज्ञान और अनुभव से प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। दिसंबर 1941 में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का पहला 'अनौपचारिक' सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- अपनी स्थापना के पहले वर्ष (1 अप्रैल, 1937) में आयोग ने 'प्रांतीय पुलिस सेवा' (पीपीएस) और प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा आयोजित की और अपने स्वयं के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की। पीपीएस में एक पद के लिए सिर्फ बहत्तर उम्मीदवारों ने और पीसीएस में ग्यारह पदों के लिए 244 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसके अतिरिक्त, 320 पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए, जबकि 85 पदोन्नति मामलों का निपटारा किया गया। प्रथम राज्य सिविल परीक्षा में श्री इंद्रदेव नारायण शाही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और पुलिस परीक्षा में श्री ई.एच.एम (आई) डेविड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) के लिए चयन अर्थात पीसीएस (जे) को 1939-40 में लोक सेवा आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1963-64 में, राज्य लेखा सेवा के गठन के लिए एक विस्तृत योजना सरकार को प्रस्तुत की गई थी। यह बाद में फलीभूत हुई।